न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00273RAAJodhpur2018-101RTA223 Mohanram Vs Khumanaram etc

01. मोहनराम पुत्र रेंवतराम जाति- भील, निवासी- पीलवा, तहसील देचू, जिला जोधपुर।
02. जोगाराम पुत्र हरिराम, जाति भील, निवासी- होपारड़ी, तंहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. खुमानाराम पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
2. भंवरलाल उर्फ लालू पुत्र हुकमाराम
3. पांचाराम पुत्र मोहनीदेवी पत्नी वीरुराम
4. भंवरलाल पुत्र मोहनीदेवी पत्नी वीरुराम
5. किरतकुमार पुत्र मोहनीदेवी पत्नी वीरुराम
6. गिरधारीलाल पुत्र मूलाराम पुत्र वीरुराम
7. पप्पुलाल पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
8. सुरजनराम पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
10. राजु पुत्र अर्जनुराम पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
11. समी पुत्र अर्जुनराम पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
12. प्रवीत रानी पुत्री अर्जुनराम पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
13. मंजू पुत्री अर्जुनराम पुत्र मूलाराम पुत्र हुकमाराम
14. सुगनीदेवी पुत्री मूलाराम पुत्र हुकमाराम
15. मायादेवी पुत्री मूलाराम पुत्र हुकमाराम
    सभी जातियान् भील, निवासीगण- जैसलमेर रोड़, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 मई 2018 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 242/2013 खुमानाराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सोलह

नि र्ण य

दिनांक : 14 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 242/2013 खुमानाराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पन्द्रह द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 627 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 627/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा ग्राम फलोदी तहसील फलोदी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18 मई 2018 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने महज कयासी दलीलो पर वादीगण का दावा डिक्री करने में भारी भूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की है। वादीगण अपने दावे को दस्तावेजी अथवा जबानी शहादत से कतई साबित नहीं कर सके थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा उसके वर्तमान स्वरूप में पोषणीय ही नहीं था। दावे में नामांतरकरण संख्या 385 को चुनौती दी गई है, जबकि जिन व्यक्तियों के नाम से उक्त नामांतरकरण स्वीकार किया गया, उन्हें वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया, ऐसा वादीगण ने एक सोची समझी चाल के तहत किया। वादीगण न तो विवादग्रस्त भूमि के टिनेन्ट है एवं न ही उन्हे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के हिन्ही प्रावधानों के तहत कोई टिनेंसी अधिकार अर्जित हुए है, इस कारण उनका घोषणात्मक दावा चलने योग्य ही नहीं था। वादीगण स्व. हुकमा पुत्र बिरदा के वारिसान् नहीं है, न ही वे किसी दस्तावेजी शहादत से ऐसा करने में सफल हुए है। इन परिस्थितियों में उन्हें दावा पेश करने हेतु कोई वादकरण पैदा नहीं हुआ। हुकमा पुत्र बिरदा लाओलाद फौत हुए थे। विचारण न्यायालय की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय अनियमितताओं का पिटारा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को वाद की सुनवाई का कोई नोटिस तक नहीं दिया जो वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। इसके बावजूद भी एकतरफा कार्यवाही करते हुए दावा डिक्री कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं है, बल्कि हुकमा पुत्र बिरदा के स्वर्गवास के पश्चात इस पर इसके भाई नेना के नाम से नामांतरकरण स्वीकार किया गया जो संवतः 2029 में स्वीकार किया गया तथा उसी का कब्जा काश्त है। इसके आगे विवादग्रस्त भूमि के संदर्भ में आगे अनेक बार हस्तांतरण पत्र निष्पादित हुए। वादी ने यह सब जानते हुए नेना पुत्र बिरदा को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया, उसे पक्षकार बनाया गया होता तो वह न्यायालय में उपस्थित होता एवं वादीगण के झूठ का पर्दाफास कर देता। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई शहादत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि वादीगण स्व. हुकमा पुत्र बिरदा के उतराधिकारी हैं विचारण न्यायालय ने केवल वादीगण की जबानी शहादत को आधार मानकर ही फेसला कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष जो भी शहादत उपलब्ध थी, उसके आधार पर भी वादीगण का दावा किसी भी सूरत में डिक्री किये जाने योग्य नहीं था। केवल वाद पत्र में गलत वंश वृक्षावली दर्शा देने मात्र से वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री नहीं किया जा सकता। वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा या काश्त नहीं रहा एवं न आज है तथा न ही वादीगण को कोई टिनेंसी अधिकार अर्जित हुए है। इन परिस्थितियों में वादीगण का घोषणात्मक एवं निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी दावा चलने योग्य ही नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस बिंदु पर कोई गौर किये बिना दावा डिक्री कर दिया। अंत में

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 242/2013 खुमानाराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 मई 2018 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट्स स्व. बिड़दाराम के प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.01.2014 के मुताबिक अपीलांट/प्रतिवादी संख्या एक के सम्मन लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। जबकि अपीलांट्स को भेजे गये सम्मन दिनांक 26.05.2015 की पावति रिपोर्ट मुताबिक अपीलांट मोहनराम के सम्मन आसामी के रिश्तेदार से तामील होना बताया गया है तथा अपीलांट खुमानाराम के सम्मन आसामी के भटिण्डा पंजाब में निवास करना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट खुमानाराम के भटिण्डा के पत्ते पर सम्मन भिजवाने बाबत कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर नियमानुसार सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के मूलभूल सिद्धांतों के विरुद्ध अपीलांट्स खातेदारी खत्म किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 24202/2013 खुमानाराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 मई 2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्षकारान् को साक्ष्य-सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14 मार्च 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर